

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—द्वितीय
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक/प्रशासन/पेंशन/एस.टी.आर— 1063

दिनांक: 08/03/2022

प्रति,

वरि. लेखा अधिकारी/ई.डी.पी. अनुभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—द्वितीय
मध्य प्रदेश, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:— पेंशन अदालत आयोजन की सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने के संबंध में।
संदर्भ:— मुख्यालय का ई-मेल पत्र दिनांक 18.02.2022 एवं वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार का
कार्यालय ज्ञापन क्रमांक A-11019/14/2019 – Ad. I दिनांक 17.01.2022.

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। मुख्यालय द्वारा माह मार्च 2022 के तीसरे सप्ताह में विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से पेंशन अदालत के आयोजन हेतु निर्देश दिया गया है। इस संबंध में लेख है कि कार्यालय के द्वारा दिनांक 22 मार्च 2022 को अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये पेंशन अदालत का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि वीडियो कान्फ्रेसिंग के लिंक इस अनुभाग को प्रदान करें साथ ही पेंशन अदालत के आयोजन की सूचना एवं प्रोफार्मा इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(प्राधिकार:— वरि. उप महालेखाकार/प्रशासन के आदेश दिनांक: 03.03.2022)

संलग्न: प्रोफार्मा पत्र

भवदीय


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशासन

R-162

प्रोफार्मा
(पेंशनर/परिवार पेंशनर द्वारा भरे जाने हेतु)
(पेंशन अदालत – 2022)

1. पेंशनर का नाम और पता :
2. पेंशनर का मोबाईल नम्बर :
3. अंतिम पद का पदनाम एवं स्थाई क्रमांक :
4. सेवानिवृत्ति दिनांक एवं कार्यालय का नाम :
5. पी.पी.ओ. क्रमांक :
6. पेंशन वितरण करने वाले बैंक का नाम व पता :
7. शिकायतें :
(पूर्ण ब्योरा दिया जाए और यदि कोई पूर्व संदर्भ है तो उसका उल्लेख करें।)

दिनांक :

हस्ताक्षर :

स्थान :

नाम :